(To be published in the Delhi Gazette Part-IV Extraordinary)

GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
OLD SECRETARIAT, DELHI – 110054

No. F. Addl. DE (Sch) 609-623 **Dated:** 16/6/2010

NOTIFICATION

Whereas there are 932 Government Schools in jurisdiction of Directorate of Education which include 19 Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas.

And Whereas, in the year, 1997 it was realized that in Government Schools, there are many students who have potential to excel, given right environment. It was also realized that such students from low economic strata but having potential cannot afford to attend public schools. It was proposed to shape their excellence and provide a platform to cater to their higher needs of academic excellence. Accordingly, it was proposed to allow to establish pace setting Government Schools of special category having distinct character to provide better conditions of teaching learning environment and better infrastructure and the same, was approved by Government and thus, Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas came into existence.

And Whereas, THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATIN ACT, 2009 has been notified to take effect from 01-04-2010. The provisions of the Act are to provide for free and compulsory education to all children of the age of 6-14 years. The Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas, are the schools like Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, Sainik Schools or any other school having a distinct character which may be specified by notification by the appropriate Government under clause (p) of section 2 of the aforesaid Act.

And Whereas, students in Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas are admitted from amongst those studying in Government/Government Aided/MCD/NDMC/Cantonment Board schools, in order to cater to the needs of their higher potential. They are selected from the such students, after a test at the entry level of Class-VI and thereafter to Class-IX and XI subject to the condition of availability of seats in the respective Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas.

And Whereas, the Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas, have a distinct character, in terms of the objectives and mission stated above.

Now, therefore, in pursuance of clause (p) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, the Lt. Governor, NCT of Delhi is pleased to declare Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas as Specified Category Schools like Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, Sainik Schools.

By Order and in the name of
the Lt. Governor of NCT of Delhi

15.06.2010
(SURESH GUPTA)
ADDL. SECRETARY (EDUCATION)

No. F. DE (Sch) 609-623 **Dated:** 16/6/10

Copy for Information and necessary action to:

1. Secretary, MHRD, Govt. of India
2. Pr. Secretary to Lieutenant Governor, GNCT of Delhi
3. Pr. Secretary to Chief Minister, GNCT of Delhi
4. Pr. Secretary (Education), GNCT of Delhi
5. OSD to Chief Secretary, GNCT of Delhi
6. Pr. Secretary, Services Department, GNCT of Delhi
7. Pr. Secretary, Law, Justice & Legislative Affairs Department, GNCT of Delhi
8. Director of Education, GNCT of Delhi
9. Director, Dte. Of Information and Publicity, GNCT of Delhi
10. Supdt., General Administrative Department (Co-ordination), GNCT of Delhi, in duplicate, for publication in the Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) with the direction to supply five copies of the Gazette to this Department separately for office record.
11. All Addl. Directors/RDEs/JDEs, Dte. Of Education, GNCT of Delhi
12. All Branch Incharges, Dte. Of Education, GNCT of Delhi
13. All Aided schools through concerned Deputy Director of Education.
14. OS (IT) with the request to place it on the website of Dte. of Education.
15. Guard File.

15.06.2010
(SURESH GUPTA)
ADDL. SECRETARY (EDUCATION)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054.

सं0फा0 अ०कि० प्रि० नि० (स्कूल) 609-623 दिनांक: 16/6/2010

अधिसूचना

जबकि, शिक्षा निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में 932 राजकीय विद्यालय हैं जिनमें 19 राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय शामिल हैं।

और जबकि, वर्ष 1997 में यह महसूस किया गया कि सरकारी विद्यालयों में ऐसे अनेक विद्यार्थी होते हैं यदि उनको उचित वातावरण प्रदान किया जाये तो उनमें उत्कृष्ट प्रतिभा की संभावना होती है। यह भी महसूस किया गया कि अनेक कमजोर आर्थिक वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के पास प्रतिभा होती है परन्तु वे पब्लिक स्कूलों का खर्च वहन नहीं कर सकते। यह प्रस्ताव किया गया था कि उनकी प्रतिभा को सामने लाया जाये और उनकी उच्च शैक्षिक उत्कृष्टता की आवश्यकताओं के अनुसार विद्यालय उपलब्ध करवाये जायें। तद्नुसार प्रस्ताव किया गया था कि विशेष वर्ग के ऐसे राजकीय विद्यालय स्थापित करने अनुमति दी जाये जहां अध्ययन अध्यापन की बेहतर परिस्थितियाँ और बेहतर मौलिक सुविधाएं हों जिसकी अनुमति सरकार ने प्रदान की और इस प्रकार राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय अस्तित्व में आये।

और जबकि, बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 को 1.4.2010 से लागू करने के लिये अधिसूचित किया गया था । अधिनियम में 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों या उन ऐसे अन्य स्कूलों को समान है जिनका अपना विशिष्ट स्वरूप है और इसे उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (पी) के अन्तर्गत समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है।

और जबकि, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका/छावनी बोर्ड के पढ़ने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों को उनकी उच्च प्रतिभा की जरूरतों को पूरा करने के लिये प्रवेश दिया जाता है। इनका चयन कक्षा–VI तथा उसके पश्चात् कक्षा–IX तथा कक्षा–XI के प्रवेश स्तर पर एक परीक्षा के द्वारा होता है जिसकी शर्त यह है कि संबंधित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में सीट उपलब्ध हो।

और जबकि, उपरोक्त उद्देश्यों एवं मिशन के अनुसार राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों का अपना विशिष्ट स्वरूप होता है।

सुरेश

इसलिए अब, बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2 के खंड (पी) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों को केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों जैसे विद्यालयों की तरह विनिर्दिष्ट वर्ग विद्यालय घोषित करते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

(सुरेश गुप्ता)
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

सं०फा० अति० शि० सि० (स्कूल) 6 **दिनांक:** 16/6/12

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :–

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव ।
3. मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव।
4. प्रधान सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. प्रधान सचिव, सेवाएं विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. प्रधान सचिव, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. निदेशक, शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. अधीक्षक, सामान्य प्रशासन विभाग (समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र (असाधारण) भाग–चार में प्रकाशनार्थ दो प्रतियां तथा निदेश दिये जाते हैं कि राजपत्र की पांच प्रतियां इस विभाग को कार्यालय अभिलेख के लिये भिजवाएं।
11. समस्त अतिरिक्त निदेशक / आरडीई / संयुक्त निदेशक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. समस्त शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
13. समस्त सहायता प्राप्त स्कूल संबंधित उप–शिक्षा निदेशक के माध्यम से।
14. अधीक्षक (आईटी) अनुरोध है कि इसे शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर डालें।
15. गार्ड फाईल।

(सुरेश गुप्ता)
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)